न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 82/2018
निर्णय दिनांक : 22-2-2019

उनवान

1. हरदयाल दास स्वामी चेला सन्त रामपाल दास स्वामी निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

बनाम

वादी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जे0डी0ऐ0 कार्यालय जयपुर।

प्रतिवादीगण

दाग बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188, 92 ए सपठित धारा 136 एल आर एक्ट

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील सांगानेर के ग्राम बिन्दायका पटवार हल्का जगतपुरा में वादी की खातेदारी भूमि स्थित हे जिनमें से वर्तमान में वादी के नाम खसरा नम्बर 108/333 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291/2 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर स्थित है वादी की उक्त भूमि के लगवा ही वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 259 व 260 है उक्त खसरे ही इस दावे में विवादित है। वादग्रस्त आराजी सहित अन्य आराजी वादी के पूर्वज धनीराम दास चेला माधोदास के नाम संवत 2015 में भूमि स्थित थी जिसके खसरा नम्बर 64, 65, 66, 139, 140, 141, 142, 143, 147 व 139/215 कुल किता 10 कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थे अर्थात आज के हिसाब से 6.55 हैक्टेयर भूमि वादी के पूर्वज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा इसी अनुसार वादी व उसके परिवारजन मौके पर लगातार अपनी 6.55 हैक्टेयर भूमि पर काबिज कास्त चले आ रहे थे।

सेटलमेन्ट के दौरान वादी की भूमि के नये नम्बर बनाये गये जिनमें खसरा नम्बर 107 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108/333 रकंबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92 रकबा .09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 292/345 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 23 कुल रकबा 6.20 हैक्टेयर ही बने अर्थात भूप्रबन्ध विभाग को पूर्व एन्ट्रीयो को दोहराना मात्र होता है तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना सुनवाई के किसी भी पक्ष की खातेदारी को कम ज्यादा करने का अधिकारी प्राप्त नही होता है। भूप्रबन्ध ही उपरोक्त कार्यवाही उसके क्षैत्राधिकार से बाहर है तथा एक तरह से लिपिकीय त्रुटी हैं जो कि दुरूस्त होने योग्य हे वादी आज भी अपने पुराने रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है वादी व उसके पूर्वजों ने अपनी खातेदारी भूमियों में से अवश्यकता अनुसार कुछ भूमिया, विक्रय कर दी थी शेष भूमि आज भी वादी के कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम संवत 2015 में जो भूमि दर्ज थी उसे खसरा नम्बर 127, 137, 13, 33, 34, 40, 63, 70, 138, 166, 169, 181, 192, 122/213, 139/214, 191/38 कुल 12 बीघा 18 बिस्वा अर्थात 3.26 हैक्टेयर भूमि दर्ज थी जिसके भूप्रबन्ध विभाग ने जो नये नम्बर बनाये उनका कुल

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

रकबा 3.65 हैक्टेयर बना दिये अर्थात प्रतिवादीगण के नाम भूमि को 0.39 हैक्टेयर बढा दिया जो बिना किसी आधार के बढा दिया है, इसमें से हाल खसरा नम्बर 259 व 260 जो वर्तमान में प्रतिवादी के नाम है उस पर खसरा नम्बर 260 सम्पूर्ण पर तथा खसरा नम्बर 259 रकबा 0.97 हैक्टेयर में से 0.29 हैक्टेयर अर्थात उक्त खसरा नम्बर में से हिस्सा 29/97 पर अर्थात दोनो नम्बरों का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर पर, वादी का कब्जा काश्त है जो सेंटलमेन्ट से लेकर आज दिनांक तक बिना किसी बाधा, रोक–टोक के लगातार शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में है। वादी अपनी उक्त भूमि पर बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में है, वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है उसने कभी भी अपने राजस्व रिकार्ड को नही जांचा अभी गत दिनों वादी जमाबन्दी लेने पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने वादी की भूमि कम बताई इस पर वादी को काफी आश्चर्य हुआ इस पर वादी ने तहसील से सारा रिकार्ड निकलवाया जो वादी को गत दिनांक 28.03.2018 को प्राप्त हुआ जिसके अवलोकन से वादी को सम्पर्ण तथ्यों का प्रथम बार ज्ञान हुआ इसके पश्चात् वादी ने प्रतिवादीगण से यह उक्त त्रुटी को दुरूस्त करवाने हेतु गया तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 17.04.2018 को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया तथा न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने बाबत निर्देशित किया। प्रतिवादीगण की कार्यवाही को देखते हुये वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 259 में से [illegible] 29/97 एवं खसरा नम्बर 260 सम्पूर्ण की खातेदारी का इन्द्राज दुरूस्त करवाकर उक्त की घोषणा की डिक्री प्राप्त करे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि वो वादी के वादग्रस्त आराजी के कब्जे व उपयोग –उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, वादी को जबरन बेदखल नही करे। वादी को वाद हैतुक दिनांक 17.04.2018 को प्रतिवादीगण से यह उक्त त्रुटी दुरूस्त करवाने हेतु गया तो प्रतिवादीगण ने दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया तथा न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने बाबत निर्देशित किया तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से जवाब दावा में अंकित किया है कि ग्राम बिन्दायका पटवार हल्का जगतपुरा तहसील सांगानेर जयपुर में खसरा नम्बर 108/333 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291/2 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर वर्तमान में वादी के नाम दर्ज है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 259 एव 260 खातेदारी में दर्ज है। दावे के परिपेक्ष में राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक साबिक कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज था जिसके हिसाब से कुल 6.55 हैक्टेयर वादी की बनती है जो रिकॉर्ड अनुसार सही है। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सेटलमेन्ट के अनुसार वादी के नाम गत खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 107 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108/333 रकबा 0.02 [illegible], खसरा नम्बर 92 रकबा .09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.13. हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 292/345 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 23 कुल रकबा 6.20 हैक्टेयर दर्ज की गयी है। इस प्रकार वादी की भूमि में 0.35 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गयी है। तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम कुल 12 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् 3.26 भूमि दर्ज थी। जिसके भू–प्रबन्धक विभाग के नवीन खसरा नम्बर में कुल रकबा 3.65 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई है। इस प्रकार 0.39 हैक्टेयर भूमि अधिक खातेदारी में दर्ज की गयी है।

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि तहसील सांगानेर के ग्राम बिन्दायका पटवार हल्का जगतपुरा में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 108/333,267, 271 व 291/2 कुल किता 4 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर होना स्वीकार है तथा उक्त भूमि के लगवा वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 259 व 260 की खातेदारी मिन प्रतिवादी के नाम होना स्वीकार है। साथ ही अंकित किया है कि किस खसरा नम्बर में भूमि कम हुई है वादी द्वारा नही बताया है। अतः वाद चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से पेश जवाब दावा विरोधाभाषी नही होने पर दावा में वादी की साक्ष्य ली जाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित कराये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही करने पर पत्रावली पर अंतिम बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 259 में से हिस्सा 29/97 एवं खसरा नम्बर 260 सम्पूर्ण खातेदारी का इन्द्राज दुरूस्त करवाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने बहस वकुलाय पर मनन किया एवं प्रतिवादी संख्या एक की ओर से पेश जवाब दावा में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नम्बर 260 रकबा 0.06 एवं खसरा नम्बर 259 के दक्षिणी साइड की 0.29 हैक्टेयर भूमि जो विवादित है उक्त भूमि पर खातेदार हरदयाल स्वामी का कब्जा है। जो प्रतिवादी के हिस्से में अधिक लगी हुई है को कम किया जाकर उक्त खसरा नम्बर 260/0.06 व 259/0.29 मि. कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के कब्जे काश्त की उपयोग–उपभोग की भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/02/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगत राजेश्वर)
आर.ए.एस.
(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर–द्वितीय
जयपुर

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, सॉगानेर (द्वितीय) मुकाम सॉगानेर जयपुर व इजलास श्री जगत राजेश्वर, आर.ए.एस..

वाद संख्या : 82/2018

उनवान

1. हरदयाल दास स्वामी चेला सन्त रामपाल दास स्वामी निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

बनाम वादी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, ऐ0डी0ऐ0 कार्यालय जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188, 92 ए सपठित धारा 136 एल आर एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। हमने बहस वकुलाय पर मनन किया एवं प्रतिवादी संख्या एक की ओर से पेश जवाब दावा में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नम्बर 260 रकबा 0.06 एवं खसरा नम्बर 259 के दक्षिणी साइड की 0.29 हैक्टेयर भूमि जो विवादित है उक्त भूमि पर खातेदार हरदयाल स्वामी का कब्जा है। जो प्रतिवादी के हिस्से में अधिक लगी हुई है को कम किया जाकर उक्त खसरा नम्बर 260/0.06 व 259/0.29 मि. कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थांई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के कब्जे काश्त की उपयोग–उपभोग की भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/02/19 को जारी की गई।

दस्तखत .....

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुहर

ओहदा .....

Scanned by CamScanner

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner